Pt-uploaded on
Lsg website 26/3/18

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग
जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स : 0141–2222403, 2222469 ईमेल : dlbrajasthan@gmail.com वेबसाईट : www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ 55( )अभि./सीई/डीएलबी/2018–19/बजट घोषणा/22660-884 दिनांक : 26/03/18

1. जिला कलेक्टर (समस्त),
   राजस्थान।

2. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
   नगर निगम/परिषद/पालिका (समस्त)।

विषय : माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट में की गई घोषणाओं की क्रियान्विति बाबत।

प्रसंग : विभाग का पूर्व समसंख्यक पत्रांक : विभाग का समसंख्यक पत्रांक : 12445–669 दिनांक 26.02.2018 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट वर्ष 2018–19 में की गई घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में अम्बेडकर भवनों के निर्माण, श्मशानों एवं कब्रिस्तानों में विकास कार्य तथा सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण हेतु स्थल चयन/भूमि आवंटन करने हेतु निर्देशित किया गया है।

दिनांक 26.03.2018 को मुख्य सचिव महोदय द्वारा जिला कलेक्टर्स के साथ आयोजित विडियो कांफ्रेंस में कुछ नगर निकायों में अध्यक्ष/नगर पालिका मण्डल द्वारा अभी तक इन कार्यों हेतु स्थल का चयन/भूमि आवंटन नहीं होने बाबत अवगत कराया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि विभाग की अधिसूचना सं. : प.8 (ग)(15)नियम/डीएलबी/2017/12240 दिनांक 26.04.2017, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश सं. : प.2 (30)नविवि/3/2016 दिनांक 11.05.2017 एवं आदेश सं. प.8 (ग)(15)नियम/डीएलबी/2017/19577 दिनांक 25.05.2017 (प्रतियां संलग्न) द्वारा गठित/प्रभावी एम्पावर्ड कमेटी के समक्ष उक्त प्रकरणों को प्रस्तुत करते हुये, स्थल चयन/भूमि आवंटन की कार्यवाही अविलम्ब सम्पादित की जावे। यदि आवश्यक समझा जावे तो ऐसे प्रकरणों को नगर पालिका मण्डल की आगामी बैठक में रखते हुये कार्योत्तर अनुमोदन/स्वीकृति ली जा सकती है।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : एफ 55( )अभि./सीई/डीएलबी/2018–19/बजट घोषणा/22885-3086 दिनांक : 26/03/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
03. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
04. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकायें, समस्त राजस्थान।
05. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, (समस्त) राजस्थान।
06. प्रभारी, स्मार्टराज सेन्टर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।

अधिशाषी अभियन्ता